न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया)
प्रकरण/प्रार्थना पत्र/एल.आर. 136/मु0नं0 76/2023

1. किशनलाल पुत्र रामनिवास जाति साधु निवासी ग्राम नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. गीता पुत्री रामनिवास जाति साधु निवासी ग्राम नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. महावीर प्रसाद पुत्र रामनिवास जाति साधु निवासी ग्राम नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. संजू पुत्री रामनिवास जाति साधु निवासी ग्राम नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. सत्यनारायण पुत्र रामनिवास जाति साधु निवासी ग्राम नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. सीता पुत्री रामनिवास जाति साधु निवासी ग्राम नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः–25.02.2025

उपस्थितः– श्री शिवकुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगणों ने इस प्रार्थना–पत्र साराक्षतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम नान्दसी पटवार हल्का नान्दसी, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नान्दसी तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 486 में दर्ज खसरा नम्बरान प्रार्थीगणों की पुश्तैनी आराजीयात है। जो उनके पिता रामनिवास पुत्र रामचन्द्र की विरासत से उनको प्राप्त हुई है। वर्किंग जमाबन्दी में में उक्त आराजीयात में प्रार्थीगणों के पिता रामनिवास पुत्र रामचन्द्र की जाति साधु नाम दर्ज थी। जिसमें वर्तमान जमाबन्दी में सहवनवश से प्रार्थीगणों के पिता रामनिवास पुत्र रामचन्द्र की जाति जाट अकिंत हो गया है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगणों के पिता की जाति जाट के स्थान पर साधु दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार भिनाय को जवाब/रिपोर्ट पेश करने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना–पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीगणों के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण पिता की जाति पूर्व जमाबन्दी में **साधु** दर्ज थी, परन्तु राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा भुलवश प्रार्थीगण के पिता की जाति खाता संख्या 486 में **जाट** अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता की जाति **साधु** है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत तथा उचित है। अपनी बहस के

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

समर्थन में प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय–पत्र, पूर्व राजस्व रिकॉर्ड, मिलान–क्षेत्रफल, शपथ–पत्र, आधार कार्ड, ग्राम नान्दसी का अन्य खाता संख्या 415 जिसमें प्रार्थीगणों के पिता की जाति सही है, संलग्न पत्रावली की गई।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, जवाब तहसीलदार भिनाय, संबंधित पटवारी की रिपोर्ट, मौका पर्चा, एवं मिलान क्षेत्रफल, रजिस्ट्रर्ड विक्रय–पत्र, पूर्व राजस्व रिकॉर्ड, शपथ–पत्र, आधार कार्ड, ग्राम नान्दसी का अन्य खाता संख्या 415, तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 290 दिनांक 29.10.1984 आदि का गहनता से अध्ययन तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिये जाते है कि मौजा ग्राम नान्दसी पटवार हल्का नान्दसी, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नान्दसी तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के **खाता संख्या 486 में दर्ज खसरा नम्बरान** में सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति जाट** के स्थान पर **रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति साधु** दुरूस्त किया जावे। **शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें।** तहसीलदार भिनाय द्वारा राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। **निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)